# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–32 / 2017

श्रीमति शीला देवी वगैरह.....वादिनीगण

बनाम

गिरजा देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

## आदेश

13.09.23 अभिलेख आज प्रार्थी आवेदक अभिषेक कुमार जैशवाल की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाए जाने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–21.03.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–27.06.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रार्थी आवेदक ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादीगणों ने कुल तीन निबंधित विकयविलेख दिनांक–21.11.2017 एवं 06.04.2020 के द्वारा सम्पूर्ण विवादित भू–भाग का विकय उन्होंने कर दिया है और विवादित भूमि पर खरीदगी पश्चात् उनका हित सृजित हो चुका है। अतएव उन्हें वादी खाने में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि वादीगणों को विवादित भूमि विकय का कोई अधिकार नहीं था और उस आधार पर आवेदक को कोई हकियत एवं दखल–कब्ज प्राप्त नहीं है। अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है, चूँकि वादीगण पूर्व विभाजन वाद सं0–184 / 2000 में पारित अंतिम आदेश दिनांक–19.03.2002 से बाध्य हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में विवादित भूमि विकय के संबंध में प्रतिवादी का कोई विनिर्दिष्ट आपत्ति नहीं है और बदौरान मुकदमा वादीगणों द्वारा विवादित भूमि का विकय आवेदक को वर्तमान वाद के फलाफल से उनका हित प्रभावित होगा। वादी का कोई प्रत्युत्तर अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अतएव वाद संचालन में युक्तियुक्त कार्रवाई हेतु आवेदक को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का नाम वादी खाने में बतौर आवश्यक पक्षकार सम्मिलित करें।

वाद दिनांक– 18-10-2023 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु नियत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।